

अपील सूचना अधिकार संख्या 120/2021 (GCMS 2021/196)(आईटीआई
पोर्टल नं. 212113168555112) सतवीर बडगुजर निवासी 11/69 मुक्ता
प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर - 334004 (मोबाईल नम्बर 8387976415) बनाम
तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

18.05.2022



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सतवीर बडगुजर स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 24.09.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सतवीर बडगुजर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2021 के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी:

दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 24 सितम्बर 2021 तक कार्यालय सभी कर्मचारी अर्थात् लोक सेवक कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें। इस बीच के समय के दौरान अवकाश प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें यदि कर्मचारी इस समय अवधि के अंदर छुट्टी पर रहे हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपने पत्र अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री सतवीर बड़गुजर द्वार अतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम ऑनलाईन प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उक्त से संबन्धित कार्यालय की आई डी मेप नही थी जिसको दिनांक 14.12.2021 को मेप किया गया जिससे उक्त प्रार्थना-पत्र कार्यालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना देने के लिये अपीलार्थी से शुल्क (राशि) अपेक्षित है। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कार्यालय के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका एवं अवकाश प्रार्थना पत्र की प्रति चाही है। कार्यालय में कार्यरत ऑफिस स्टाफ एवं फिल्ड स्टाफ वर्ग है यथा मूल अभिलेख कार्मिक, राजस्व कार्मिक पटवारी-भू. अभिलेख निरीक्षक उक्त समस्त कार्मिक या वर्ग विशेष कार्मिक के सबन्ध में सूचना चाही है इसका उल्लेख अपीलार्थी द्वारा नही किया गया है जिसके अभाव में शुल्क का निर्धारण नही किया जा सकता है। अपीलार्थी उपयुक्त वांछित विशिष्टि पूर्ण कर नियमानुसार शुल्क का संदाय कर सूचना प्राप्त कर सकता है जिसके लिये कार्यालय के पत्रांक 288 दिनांक 14.12.2021 अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र के अनुसरण में क्या कार्यावाही की जाती है तदनुसार अपील निर्णित किये जाने की कृपा करे। आपकी महती कृपा होगी।

-sd-

तहसीलदार (राजस्व)

श्रीविजयनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है, जो सही जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित विशिष्टियां उपलब्ध करवा दें तो उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्धारित शुल्क से अवगत करवा दें और निर्धारित शुल्क जमा कराने पर उसे नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद त्रतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रुकमणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर